संख्या– 158 /VI/2005–2(1)/2004

प्रेषक,

एन0एन0प्रसाद,
सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून ।

पर्यटन अनुभागः देहरादून दिनांक 22 फरवरी 2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2004–05 में प्राप्त पर्यटन विकास की नई योजनाओं हेतु स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 724/VI/2004–2 (1)/2004 दिनांक 19 अक्टूबर, 2004 के सन्दर्भ में एंव आपके पत्र संख्या–598/2–6–329/2003, दिनांक 20 मार्च, 2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पर्यटन विकास की निम्न पॉच नई योजनाओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 37.79 लाख के आगणनों के विरूद्व टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत रू0 35.28 लाख(रूपये पैतीस लाख अठाइस हजार मात्र) के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित इतनी ही धनराशि के व्यय की स्वीकृति भी सहर्ष प्रदान करते हैं :–

क0 सं0	योजना का नाम	मूल लागत	टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणो –परान्त स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2004–05 में स्वीकृत की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
1	विकासखण्ड पौड़ी के अन्तर्गत ग्राम सभा गहड़ (बुबाखाल) के अन्तर्गत टांड्यू तोक में नर्सिग मन्दिर का सौन्दर्यीकरण	8.66	8.10	8.10	ग्रामीण अभियन्ण सेवा, पौड़ी
2	विकासखण्ड पौड़ी के अन्तर्गत रछुली (परसुण्डाखाल) के पास नागराजा मन्दिर का विस्तारीकरण व पंहुच मार्ग का निर्माण	3.25	3.00	3.00	ग्रामीण अभियन्ण सेवा, पौड़ी
3	विकासखण्ड पौड़ी के अन्तर्गत ग्राम सभा भीमली तल्ली (घोड़ीखाल) में नागराजा मन्दिर का पुर्ननिर्माण/सौन्दर्यीकरण	8.35	7.77	7.77	ग्रामीण अभियन्ण सेवा, पौड़ी
4	विकासखण्ड खिर्सु के अन्तर्गत जामणाखाल में भवानी मन्दिर का सौन्दर्यीकरण एवं सी0सी0 मार्ग का निर्माण	8.24	7.82	7.82	ग्रामीण अभियन्ण सेवा, पौड़ी
5	विकासखण्ड कोट के अन्तर्गत अछरीखाल में झील का विस्तारीकरण तथा मन्दिरों का जीर्णोद्वार	9.29	8.59	8.59	ग्रामीण अभियन्ण सेवा, पौड़ी
	कुल योग :–	37.79	35.28	35.28	

(रूपये पैतीस लाख अठाइस हजार मात्र)

2–उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जए ।

10–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

11–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी।

12–कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

13–यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत योजनाओं हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं हुआ हो अथवा स्वीकृत योजनाओं हेतु धनराशि का दोहरा आहरण न किया जायं। इस हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

14–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

15–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

16–उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत कार्य/योजना पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी कार्य स्थल पर इस आशय का एक साईनेज स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित किया गया है एवं साईनेज पर पर्यटन विभाग का लोगो सहित कार्य का विवरण भी इंगित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण कर कार्य पूर्ण होने की सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

17–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

18–निर्माण कार्यों/योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत इनके संचालन की विधिवत व्यवस्था/एग्रीमेन्ट करने के उपरांत ही संबंधित नामित संस्था के संचालन हेतु दी जाये।

19–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक –5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई याजनायें–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3 –उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–370/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक 18 फरवरी,2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव।

संख्या– VI/2005–2(1)/ 2004/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, पौड़ी।
4– क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, पौड़ी।
5– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
6– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
7– अपर सचिव, नियोजन।
8– निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल शासन।
9– निजी सचिव मा0 पर्यटन मन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
10–निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव।